

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग
(वेतन सत्यापन कोषांग)

संचिका संख्या १.स.को.५६५७/२०१३

पत्रांक ५७

पटना, दिनांक १३/०२/१५

प्रेषक,

आर० के० महाजन,
प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

कुलपति,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, भोजपुर
पटना विश्वविद्यालय, पटना
जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा, सारण
भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

विषय: वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा राज्य के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंग: विभागीय पत्रांक २७ दिनांक ०३.०४.२०१४

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सत्यापन हेतु सरकार द्वारा गठित वेतन सत्यापन कोषांग कार्यरत है। कोषांग के गठन का एक मूल उद्देश्य विश्वविद्यालयों के लिए उनके कर्मियों का डाटा बेस तैयार कर वास्तविक बजट निर्माण करना है। वर्तमान में शिक्षकों के वेतन निर्धारण के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।

२. सभी विश्वविद्यालयों में समेकित रूप से लगभग ९०० (नौ सौ) शिक्षकों का आवेदन वेतन सत्यापन हेतु कोषांग में अबतक अप्राप्त है। वैसे शिक्षक जिनका आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग में प्राप्त नहीं हुआ है, उनके वेतन हेतु बजट तैयार करने में कठिनाई होगी, क्योंकि उनका वेतन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

3. कई पत्रों एवं विभागीय बैठकों में बार-बार निर्देश के बावजूद आवेदन कोषांग को नहीं उपलब्ध होने के कारण संबंधित शिक्षकों का वेतन सत्यापन नहीं हो पा रहा है। वित्त विभाग की सहमति से विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जैसे शिक्षक जिनका आवेदन कोषांग में अबतक अप्राप्त है, वे दिनांक 28 फरवरी 2015 तक आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग में विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अद्यतन वेतन निर्धारण के साथ जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। जो शिक्षक 28.02.2015 तक आवेदन वेतन सत्यापन कोषांग में जमा नहीं कराते हैं, उनके वेतन से मार्च 2015 से उनके मूल वेतन का 25 प्रतिशत कटौती कर भुगतान किया जाय।

अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए विभाग को अनुपालन भेजने की कृपा करे।

विश्वासभाजन,

A. J. Singh
12/4/15
(आर० के० महाजन)

प्रधान सचिव,
शिक्षा विभाग, बिहार पटना।